ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम विनिता वगैरा प्रकरण सख्या 192/2019 धारा 136 एलआरएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/2021	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार लूणी द्वारा DILRMP के तहत अपवादित खातो के निस्तारण हेतु हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पत्रांक/भू0अ/DILRMP/2019/3822 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। सभी पक्षकारो को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसकी तामिली प्राप्त नही हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना DILRMP के तहत अपवादित खातो के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ है। जिसके अनुसार ग्राम काकांणी के खसरा नम्बर 776 ,778, 784 मे नामा,करण सख्या 1092 की नवीन प्रविष्टियो जिसमे नामान्तरकरण सख्या 1110 से 1113 प्रभावित होने बताये गये। चूकि रेकर्ड मे प्रभावित नामान्तरकरणो का अमलदरामद करने का क्षेत्राधिकार राजस्थान भू0 राजस्व भू0अभिलेख नियम 1957 के नियमो के तहत आपका है अतः तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण करे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। 15/03/21 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	